संख्या-2-2023-77-4099-531-2022-002-1655

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा, ए-1/4 लखनपुर, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 4 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023

विषयः- बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः- 4826-यूपीसीडा-JIDA, दिनांक 04.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से झाँसी में औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 6875- अन्य उद्योगों के लिए कर्ज-60-अन्य उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-प्रदेश में औद्योगिक पार्को एवं औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण-30-निवेश-ऋण" के लिए ऋण के रूप में प्राविधानित रु0 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी अरब मात्र)निम्नानुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के निर्वतन पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है :-

परियोजना का नाम	आवंटित धनराशि (रूपये करोड़ में)
बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भूमि क्रय के लिए ऋण।	8000.00

3. इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार रू0 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी अरब मात्र) ऋण के रूप में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है :-

नियम व शर्ते -प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत ऋण की धनराशि का आहरण राजकोष से आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत ऋण की धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) राजकोष से आहरित धनराशि पर ब्याज अर्जित होने की स्थिति में ब्याज की धनराशि राज्य की समेकित निधि में समय से जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उक्त ऋण की शर्तो एवं ब्याज के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जायेंगे। तदनुसार ही उक्त धनराशि का उपभोग किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक 14.12.2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 6875601900300 प्रदेश में औद्योगिक पार्को एवं औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकर्णो को ऋण **मानक मद** 30 निवेश-ऋण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-253-X-2022-23-दिनांक 22-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय),
अनु सचिव

<u>संख्या-2-2023-77-4099-531-2022-002-1655, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी कोषाधिकारी, जनपद, कानपुर नगर।

(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त् स्वीकृत धनराशि का वित्तीयन (आय-व्ययक) अनुभाग 1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 13-2022-बी-1-454-दस-2022-231-2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड शासन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीसीडा।

(5) वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा।

(6) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) नोडल, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

(8) नियोजन अनुभाग 4, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2,4,6 उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) औद्योगिक विकास अनुभाग 2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।